

## सर्वोच्च न्यायालय सुधार: क्षेत्रीय पीठों का मामला

यह एडिटरियल 23/02/2024 को 'द हट्टू' में प्रकाशित "Should India have regional benches of the Supreme Court?" लेख पर आधारित है। इसमें एक संसदीय समिति के उस प्रस्ताव पर विचार किया गया है जहाँ सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की वकालत की गई है।

### प्रलिस के लिये:

**अनुच्छेद 130, सर्वोच्च न्यायालय, भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI), विधि आयोग, बार काउंसिल, मलमिथ समिति, भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसरचना प्राधिकरण (NJIAI)।**

### मेन्स के लिये:

सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के पक्ष एवं विपक्ष में तर्क।

कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने हाल ही में लोकसभा को अवगत कराया कि विधि मंत्रालय ने देश भर में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठ स्थापित करने के उसके प्रस्ताव का समर्थन किया है। हालाँकि, सर्वोच्च न्यायालय द्वारा क्षेत्रीय पीठों की स्थापना के विचार को बार-बार अस्वीकृत किया गया है और यह मामला अभी न्यायालय के विचाराधीन है।

## भारत में सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों पर भिन्न-भिन्न विधिक स्थितियाँ:

- भारतीय संविधान का अनुच्छेद 130:** इसमें कहा गया है कि सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में अथवा ऐसे अन्य स्थान या स्थानों में अधिविष्ट होगा जिन्हें **भारत का मुख्य न्यायाधीश**, राष्ट्रपति के अनुमोदन से समय-समय पर, नियत करे।
- विधि आयोग की रिपोर्ट:** न्यायालय को और अधिक अभिगम्य बनाने की दिशा में एक कदम के रूप में **विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट (2009)** ने गैर-संवैधानिक मुद्दों की सुनवाई के लिये दिल्ली, चेन्नई या हैदराबाद, कोलकाता और मुंबई में चार क्षेत्रीय पीठें स्थापित करने की सफ़ारिश की थी।
- बार काउंसिल:** जुलाई 2021 में दक्षिण भारत के **बार काउंसिल्स (Bar Councils)** ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को एक अभ्यावेदन प्रस्तुत किया जिसमें मांग की गई कि दक्षिण भारत में सर्वोच्च न्यायालय की एक पीठ स्थापित की जाए।
- संसद की स्थायी समिति की रिपोर्ट:** कार्मिक, लोक शिकायत, विधि एवं न्याय संबंधी **संसदीय स्थायी समिति** ने 'विधि एवं न्याय मंत्रालय की अनुदान मांग (2021-22)' पर अपनी 107वीं रिपोर्ट पेश की और विधि आयोग की 229वीं रिपोर्ट में की गई अनुशंसा के अनुरूप सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्रीय पीठों की स्थापना की वकालत की।
- भारत के मुख्य न्यायाधीश:** अभी तक, भारत के किसी भी मुख्य न्यायाधीश (CJI) ने सर्वोच्च न्यायालय को दिल्ली से बाहर अधिविष्ट करना उचित नहीं समझा है। भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीशों ने क्षेत्रीय पीठों की अवधारणा में बहुत कम रुचि दिखाई, जहाँ उन्होंने यह चिंता प्रकट की कि इससे सर्वोच्च न्यायालय की प्रतिष्ठा कम हो सकती है।

## सर्वोच्च न्यायालय की क्षेत्रीय पीठों के पक्ष में तर्क:

- बेहतर अभिगम्यता:**
  - संसदीय स्थायी समिति की रिपोर्ट में इस बात पर बल दिया गया है कि दूर-दराज के इलाकों में रहने वाले व्यक्तियों को राष्ट्रीय राजधानी में न्याय तक अभिगम्यता में उल्लेखनीय चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
  - क्षेत्रीय पीठें दूर-दराज के इलाकों या राजधानी से दूर रहने वाले लोगों के लिये न्याय को और अधिक सुलभ या अभिगम्य बनाएँगी। इससे व्यक्तियों के लिये, विशेष रूप से वृत्तीय या लॉजिस्टिकल चुनौतियों का सामना करने वाले लोगों के लिये, विधिक मामले हेतु दिल्ली जाने की आवश्यकता कम हो जाएगी।
- संवैधानिक मामलों पर अधिक ध्यान दे सकना:**
  - इससे **नई दिल्ली** में अवस्थित प्राथमिक पीठ द्वारा विशेष रूप से संवैधानिक मुद्दों को संबोधित करने के साथ, अन्य अपीलीय मामलों के वचिलन के बिना जटिल संवैधानिक मामलों के न्यायनर्णयन के लिये एक समर्पित मंच का निर्माण हो सकेगा।
  - क्षेत्रीय पीठें अपीलीय मामलों के प्रबंधन में विशेषज्ञता रख सकती हैं, जिससे न्यायाधीशों को अपने संबद्ध क्षेत्रों से संबंधित कानून के विशेषज्ञता में विशेषज्ञता विकसित करने की अनुमति मिल सकती है। इस विशेषज्ञता से अधिक सूचना-संपन्न निर्णय लिये जा सकते

हैं।

#### ■ बेहतर न्यायिक प्रभावशीलता:


- कर्षेत्रीय पीठें उन स्थानीय मुद्दों और चर्तियों को संबोधित करने के लिये बेहतर स्थर्तियों में होंगी जनि पर ढषट्टरीय स्तर पर पर्याप्त ध्यान नहीं दया जा सकता है। कर्षेत्रीय संदरभों से परचिति न्यायाधीश अधकि परासंगकि एवं परभावी नरिणय दे सकते हैं।
- कर्षेत्रीय पीठें स्थानीय कानूनों और रीत-रिवाजों से परचिति न्यायाधीशों दवारा मामलों को अधकि कुशलता से संभालने की अनुमति देंगी। इस वशिषज्जता से त्वरति और अधकि सूचना-संपन्न नरिणय लेने में मदद मलि सकती है।

#### ■ वृहत अवसर:

- कर्षेत्रीय पीठों की स्थापना से देश के वभिन्न हस्सियों में कानूनी अवसरचना एवं वशिषज्जता के वकिस को बढ़ावा मलि सकता है, स्थानीय कानूनी पेशेवरों को सशक्त बनाया जा सकता है और ज़मीनी स्तर पर कानूनी जागरूकता बढ़ाई जा सकती है।
- कर्षेत्रीय पीठों की स्थापना से वृहत अवसरों के दवारा खुलेंगे और 'बार' (Bar) का लोकतंत्रीकरण होगा।

#### ■ लंबति मामलों में कमी:

- वर्ष 2023 में सर्वोच्च न्यायालय में वर्ष 2022 की तुलना में मामलों के नपिटान में 31% की वृद्धि देखी गई। वर्तमान में 80,000 से अधकि मामले नरिणय के लिये लंबति हैं, जनिमें से 60,000 दीवानी मामले हैं।
- कर्षेत्रीय पीठों की स्थापना से न्यायाधीशों के साथ-साथ अधविकृताओं की संख्या में भी वृद्धि होगी जसिके परणामस्वरूप हमारी न्यायिक प्रणाली को अत्यंत आवश्यक बढ़ावा मलि सकेगा।
- कर्षेत्रीय पीठें सर्वोच्च न्यायालय के कार्यभार को वकिंदरीकृत कर दलिली में मुख्य पीठ पर के बोझ को कम करने में मदद कर सकती हैं। इससे मामलों का द्रुत समाधान हो सकेगा और लंबति मामलों में कमी आएगी।



## सर्वोच्च न्यायालय की कर्षेत्रीय पीठों के वपिक्ष में तरक:

#### ■ न्यायशास्त्र का वखिंडन:

- कर्षेत्रीय पीठें कानूनों और कानूनी सदिधांतों की भनिन-भनिन व्याख्याओं को जन्म दे सकती हैं, जसिके परणामस्वरूप देश के वभिन्न कर्षेत्रों में न्यायिक नरिणयों में वसिंगतयिँ उत्पन्न हो सकती हैं।
- भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के.जी. बालाकृष्णन ने तो यहाँ तक आशंका जताई थी कि इससे संस्था का ही वघिटन हो सकता है।

#### ■ वाद या मुकदमेबाजी की वृद्धि:

- जबकि सर्वोच्च न्यायालय में दायर अधकिंश मामले दलिली के नकिट स्थर्तियों उच्च न्यायालयों से आते हैं, केवल कर्षेत्रीय पीठों के गठन से इस असंतुलन को दूर नहीं कया जा सकेगा।
- कर्षेत्रीय पीठ संभावति रूप से नरिर्थक या फोरम-शॉपिंग लटिगेशन (forum-shopping litigation) को बढ़ा सकती हैं क्यौंकि वादी ऐसी पीठों से अनुकूल परणाम की इच्छा रखेंगे जनि के बारे में धारणा हो कि वे उनके मामलों के प्रत अधकि सहानुभूति रखेंगी।

#### ■ संभावति पूर्ववाग्रह और परभाव:

- कर्षेत्रीय पीठों में न्यायिक नरिणयों को प्रभावति करने में कर्षेत्रीय पूर्ववाग्रहों या राजनीतिक प्रभाव की संभावना के बारे में भी चर्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं, वशिष रूप से उन कर्षेत्रों में जहाँ प्रबल स्थानीय हति या राजनीतिक दबाव मौजूद हों।
- कर्षेत्रीय पीठों में नयिकृत न्यायाधीशों की गुणवत्ता एवं वशिषज्जता, वशिष रूप से दलिली में मुख्य पीठ के अनुभवी न्यायाधीशों की तुलना में, को लेकर भी चर्तियाँ उत्पन्न हो सकती हैं। इससे न्यायिक नरिणयों की सुसंगति एवं वशिषसनीयता पर असर पड़ सकता है।

#### ■ संसाधनों और अवसरचना पर वयय की वृद्धि:

- कर्षेत्रीय पीठों की स्थापना एवं रखरखाव के लिये अदालती सुवधाओं और सहायक कर्मचारियों सहति अवसरचना में उल्लेखनीय वत्तीय संसाधनों एवं नविश की आवश्यकता होगी। इससे पहले से ही सीमति न्यायिक संसाधनों और बजट पर दबाव पड़ सकता है।
- उल्लेखनीय है कि देश भर के उच्च न्यायालयों में न्यायाधीशों के स्वीकृत 1,114 पदों की तुलना में 347 पद रकिट हैं।

- इसी प्रकार, ज़िला न्यायापालिका में, न्यायाधीशों के कुल स्वीकृत 25,081 पदों में से केवल 19,781 पद ही कार्यशील थे। ज़िला जजों के 5,300 पद रकित बने हुए हैं।

## आगे की राह:

- **अपीलीय कषेत्राधिकार पीठों से संवैधानिक कषेत्राधिकार पीठों का पृथक्करण:** भारत के 10वें वधिआयोग ने प्रस्ताव किया था कि सर्वोच्च न्यायालय को दो प्रभागों में वभाजित किया जाए: संवैधानिक प्रभाग और वधिक प्रभाग।
  - प्रस्ताव में कहा गया है कि केवल संवैधानिक कानून से संबंधित मुद्दों को प्रस्तावित संवैधानिक प्रभाग में लाया जाए।
- **वशिष अनुमतयाचिकाओं (Special Leave Petitions- SLPs) के लिये एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय की स्थापना करना:** 'बहिर लीगल सपोर्ट सोसाइटी बनाम भारत के मुख्य न्यायाधीश' मामले (1986) में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एक राष्ट्रीय अपील न्यायालय (National Court of Appeal) की स्थापना करना 'वांछनीय' है जो वशिष अनुमतयाचिकाओं पर वचार करने में सक्षम होगा।
  - इससे सर्वोच्च न्यायालय को केवल संवैधानिक एवं सार्वजनिक कानून से संबंधित प्रश्नों पर वचार करने का अवसर मलि सकेगा।
- **कार्य दविसों की संख्या बढ़ाना:** **मलमिथ समति (Malimath Committee)** ने सुझाव दिया कि सर्वोच्च न्यायालय को 206 दनियों के लिये कार्य करना चाहिये और सफ़िराश की कलिंबति मामलों को ध्यान में रखते हुए अवकाश की अवधि को 21 दनियों तक कम कर दिया जाना चाहिये।
  - वर्ष 2009 के वधिआयोग ने अपनी 230वीं रिपोर्ट में सुझाव दिया कि कलिंबति मामलों के नपिटान के लिये न्यायापालिका के सभी स्तरों पर न्यायालय के अवकाश में 10-15 दनियों की कटौती की जानी चाहिये।
- **मौजूदा अवसंरचना को सुदृढ़ करना:** न्याय तक पहुँच में सुधार और मामलों के 'बैकलॉग' को कम करने के लिये उच्च न्यायालयों एवं ज़िला न्यायालय सहति मौजूदा न्यायिक अवसंरचना को सुदृढ़ करने एवं उनके आधुनिकीकरण को प्राथमिकता दी जाए।
  - भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमनना ने **भारतीय राष्ट्रीय न्यायिक अवसंरचना प्राधिकरण (National Judicial Infrastructure Authority of India- NJIAI)** की स्थापना का प्रस्ताव किया था, जो न्यायिक अवसंरचना को बेहतर बनाने में मदद करेगा।
- **व्यवहार्यता अध्ययन का आयोजन करना:** कषेत्रीय पीठों की स्थापना के संभावित लाभों, चुनौतियों और नहितारथों का आकलन करने के लिये संपूरण व्यवहार्यता अध्ययन आयोजित किये जाएँ। इन अध्ययनों में वधिक, लॉजिस्टिकल, वत्तीय एवं संवैधानिक पहलुओं जैसे कारकों पर वचार किया जाना चाहिये।
  - न्याय तक पहुँच, न्यायिक दक्षता और नरिणियों की सुसंगत पर कषेत्रीय पीठों की प्रभावशीलता एवं असर का मूल्यांकन करने के लिये चुनदा स्थानों पर पायलट परियोजनाओं या परायोगिक कषेत्रीय पीठों को क्रयान्वति करने पर वचार करें।
- **अनन्य शक्तिको अक्षुण्ण बनाए रखना:** भले ही कषेत्रीय पीठ स्थापति की जाएँ, सर्वोच्च न्यायालय की कुछ अनन्य या वशिषिट शक्तियों अक्षुण्ण रखी जानी चाहिये। इनमें संवधान के **अनुच्छेद 131** के तहत इसका मूल कषेत्राधिकार, **अनुच्छेद 143** के तहत इसका सलाहकारी कषेत्राधिकार और संवधान के **अनुच्छेद 32** के तहत इसका रटि कषेत्राधिकार शामिल हैं।
- **व्यापक न्यायिक सुधार:** न्यायिक बैकलॉग, न्याय वत्तरण में देरी और न्यायिक रकितियों जैसे प्रणालीगत मुद्दों को संबोधित करने के उद्देश्य से व्यापक न्यायिक सुधार की ओर आगे बढ़ा जाए, जो कानूनी प्रणाली के समग्र कार्यकरण में सुधार के लिये महत्त्वपूर्ण हैं।
  - न्याय तक पहुँच बढ़ाने और दूरस्थ न्यायनरिणयन को सुगम बनाने (वशिष रूप से दूरदराज या वंचित कषेत्रों में) के लिये 'वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग' और '**वरचुअल कोर्ट रूम**' जैसी प्रौद्योगिकी के उपयोग पर वचार किया जाए।

## नषिकर्ष:

- भारतीय न्यायापालिका के भवषिय की कल्पना करते समय हमें एक साहसिक दृष्टिकोण अपनाना चाहिये जो परंपरा को नवाचार के साथ, कषेत्रीय वविधिता को राष्ट्रीय एकता के साथ और अभगिम्यता को उत्कृष्टता के साथ संतुलित करता हो।
- सर्वोच्च न्यायालय के लिये कषेत्रीय पीठों की स्थापना इस दृष्टिकोण को साकार करने में एक महत्त्वपूर्ण प्रगतािका संकेत दे सकती है, जो सभी नागरिकों के लिये अधिक समावेशी, उत्तरदायी एवं प्रभावी न्याय प्रणाली प्रदान करने की क्षमता रखती है।

**अभ्यास प्रश्न:** भारत में सर्वोच्च न्यायालय के लिये कषेत्रीय पीठों की स्थापना की आवश्यकता का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिये।

## यूपीएससी सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

????????

**प्रश्न. भारतीय न्यायापालिका के संदर्भ में नमिनलखित कथनों पर वचार कीजिये: (2021)**

1. भारत के सर्वोच्च न्यायालय के किसी भी सेवानवृत्त न्यायाधीश को भारत के राष्ट्रपतिकी पूर्व अनुमति से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने के लिये वापस बुलाया जा सकता है।
2. भारत में एक उच्च न्यायालय को अपने स्वयं के नरिणय की समीक्षा करने की शक्ति है जैसा कि सर्वोच्च न्यायालय करता है।

**उपर्युक्त कथनों में से कौन-सा/से सही है/हैं?**

(a) केवल 1

- (b) केवल 2  
(c) 1 और 2 दोनों  
(d) न तो मैं और न ही 2

उत्तर: c

**??????:**

प्रश्न. भारत में उच्च न्यायापालिका के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संदर्भ में 'राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग अधिनियम, 2014' पर सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का समालोचनात्मक परीक्षण कीजिये। (2017)

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/supreme-court-reform-the-case-for-regional-benches>

